न्यायालयः–अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2, ब्यावर, जिला–ब्यावर।

पीठासीन अधिकारी :– गिरिजा भारद्वाज (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दांडिक निगरानी संख्या – 03/2026
सी. आई. एस. नम्बर – 04/2026

सुनील चौहान पुत्र श्री सुरजमल चौहान, आयु 41 वर्ष, निवासी–पी. एण्ड टी. कॉलोनी, कॉलेज रोड़, ब्यावर (राजस्थान)

––प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1. अनिल कोठारी पुत्र श्री प्रतापमल कोठारी, आयु–52 वर्ष, निवासी–प्रताप कॉलोनी, सब्जी मण्ड़ी के पास, ब्यावर (राजस्थान)।
2. राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, ब्यावर (राजस्थान)।

––गैर निगरानीकारकर्ता

———————————————————————————

दाण्डिक निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 438 बीएनएसएस, 2023

———————————————————————————

उपस्थितः–

1. निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह चौहान।
2. अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक।

आदेश **दिनांकः 16.03.2026**

न्यायालय द्वारा :

1. इस आदेश द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी का निस्तारण किया जा रहा है, जो विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्टि न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट प्रकरण), ब्यावर द्वारा प्रकरण 3481/2018 अजनाम अनिल कोठारी

बनाम सुनील चौहान के संबंध में दिनांक 29.11.2025 को पारित आदेश से व्यथित होकर माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, ब्यावर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जहां से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, ब्यावर के आदेशानुसार अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।

2. परिवादी/गैर निगरानीकार ने अभियुक्त/निगरानीकर्ता के विरूद्ध एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था, जिसके **संक्षिप्त तथ्य** इस प्रकार है कि अभियुक्त/निगरानीकर्ता ने परिवादी/गैर निगरानीकार से अपनी घरेलू एवं व्यवसायिक जरूरत के लिए रुपयों की आवश्यकता होना बतलाते हुए पांच लाख रुपए नकद उधार प्राप्त किए। उक्त रकम के भुगतान हेतु अभियुक्त/निगरानीकर्ता ने चैक संख्या 348995 दिनांकित 25.07.2017 अपने हस्ताक्षरों से जारी कर परिवादी को दिए। परिवादी ने उक्त चैक को अपने बैंक स्टर्लिंग अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा ब्यावर में जमा करवाने पर चैक रिटर्न मीमो दिनांक 03.08.2017 के कोड संख्या 11 में "Drawer's Signature to Operate account not received" रिमार्क के साथ लौटा दिया। परिवादी द्वारा उक्त तथ्यों की जानकारी अभियुक्त को देने पर अभियुक्त द्वारा टालमटोल करते हुए उक्त रकम की अदायगी आज दिन का प्रार्थी को नहीं की गयी। परिवादी ने जरिए अभिभाषक अभियुक्त के पते पर दिनांक 05.08.2017 को एक पंजीकृत नोटिस मय रजिस्टर्ड ए.डी. के प्रेषित किया। अभियुक्त ने पोस्टमैन से मिलीभगत कर उक्त रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस पर मिथ्या नोट लगवा पुनः लौटा दिया। परिवादी के उक्त परिवाद को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2017 को दर्ज रजिस्टर करने का आदेश पारित किया। इसके पश्चात् अभियुक्त को तलब कर उसको धारा 138 परक्राम्य अधिनियम का आरोप सारांश सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने उक्त कथनों से इनकार कर अन्वीक्षा चाही। दिनांक 28.02.2020 को परिवादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। इसके पश्चात् परिवादी साक्ष्य/जिरह हेतु कई तारीख पेशियों पर न्यायालय में उपस्थित रहा, किन्तु अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी से जिरह नहीं की गयी। इसके पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29.11.2025 के जरिए अधिवक्ता अभियुक्त को परिवादी से जिरह करने

का अवसर समाप्त करने का आदेश पारित किया, जिससे व्यथीत होकर यह निगरानी याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत करी हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश न्यायिक सिद्धान्तों व नजीरो, न्यायिक परिपाटीयों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। सन् 2019 से 2024 तक गैर–निगरानीकर्ता स्वयं मात्र 5 साल में कोर्ट में दो बार उपस्थित हुआ। गैर–निगरानीकर्ता स्वयं द्वारा भी दिनांक 31–05–2019 को आरोप सारांश सुनाने के बाद 4 तारीख पेशियों पर स्वयं का शपथ–पत्र पेश नहीं किया गया। गैर–निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 28–02–2020 को अपना साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया गया। उसके बाद दिनांक 19–12–2020, दिनांक 26–02–2021, दिनांक 01–05–2021, दिनांक 07–09–2021, दिनांक 18–10–2021, दिनांक 07–12–2021 इस तारीख पेशी पर गैर–निगरानीकर्ता/परिवादी को 6 आखरी मौका दिया गया, दिनांक 21–01–2021, दिनांक 04–03–2022 को 500/– रूपये कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया, दिनांक 18–04–2022 को 500/– रूपये कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया गया, फिर दिनांक 30–05–2022 को 1,000/– रूपये कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया गया, फिर दिनांक 12–08–2022, को परिवादी उपस्थित नहीं हुआ एवं अंतिम अवसर दिया गया। फिर दिनांक 29–09–2022 को जिरह परिवादी का अवसर बंद कर दिया गया। पत्रावली बहस अंतिम में रखी गई। प्रकरण में गैर–निगरानीकर्ता को लगभग 13 तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर कोस्ट लगाकर जिरह बंद की गई। गैर–निगरानीकर्ता को 3,000/– रूपये की कोस्ट पर दिनांक 20–01–2023 को अवसर खोला गया। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता दिनांक 05–07–2023 के रिश्तेदारी में मृत्यु हो जाने से जरिये मीमो एडवोकेट ललित सिंह पेश हुए परंतु मीमो अधिवक्ता को नहीं सुनते हुए निगरानीकर्ता का जिरह परिवादी का अवसर समाप्त कर दिया गया। निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 15–09–2023 को धारा–311 द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र पर पुनः 2,000/– रूपये कोस्ट पर पुनः जिरह परिवादी अवसर दिया गया। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता दिनांक 04–12–2023 को हाजरी माफी लगाकर अपने निजी कार्य हेतु बाहर चले गये, इसलिये फिर जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया, जिस बाबत् दिनांक 07–10–2025 को निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–311 पेश किया गया, जिसे दिनांक 29–11–2025 को खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सिद्धान्तों व सुनवाई के समुचित अवसर की अवहेलना की है। अंत में निवेदन किया कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को खारिज फरमाया जावे एवं निगरानीकर्ता/अभियुक्त को परिवादी से जिरह करने का अंतिम अवसर प्रदान करने की कृपा करावे।

3. बहस निगरानी सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निगरानी में अंकित उपरोक्त कथनों को ही दोहराते हुए निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

5. गैरनिगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधिनुसार बताते हुए निगरानी खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

6. अब हमें यह देखना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय के आलौच्य आदेश दिनांक 29.11.2025 में किसी प्रकार की अवैधता, अशुद्धता व अनियमितता है अथवा नहीं?

7. मेरे द्वारा अधिवक्ता निगरानीकार को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व पत्रावली का अवलोकन किया गया। मेरे विनम्र मत में रिविजनकर्ता/अभियुक्त व परिवादी के मध्य पांच लाख रुपये के लेनदेन का मामला परक्राम्य विलेख अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके संबंध में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के अनुक्रम में प्रतिरक्षा हेतु रिविजनकर्ता/अभियुक्त को परिवादी से जिरह करने का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यदि रिविजनकर्ता/अभियुक्त को जिरह का अवसर दिए बिना हस्तगत प्रकरण में आदेश किया जाता है तो रिविजनकर्ता/ अभियुक्त के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावा है।। किसी भी प्रकरण में पक्षकार का जिरह करने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, उसके बिना मामला गुणावगुण पर अभिनिर्धारित नहीं हो सकता है। यदि जिरह का अवसर ही समाप्त कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से यह उसके विधिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालेगा।

8. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 29.11.2025 को अपास्त किया जाना और निगरानीकर्ता को जिरह का अवसर कॉस्ट अधिरोपित कर, दिया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

आदेश

9. परिणामतः निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 29.11.2025 अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह निगरानीकर्ता को न्यायहित में जिरह हेतु एक अंतिम अवसर 10,000/— रुपए के कॉस्ट पर प्रदत्त करें तथा निगरानीकर्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ब्यावर में अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित पत्रावली में नियत पेशी दिनांक से पूर्व उक्त कॉस्ट राशि जमा कराकर रसीद पेश की जाए तो आगामी कार्यवाही संपादित करे। उक्त अवसर का अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रयोग ना किए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रभावी हो जाएगा। संबंधित विचारण न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति शीघ्र भिजवाई जावे।

(गिरिजा भारद्वाज)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
ब्यावर, जिला ब्यावर।

10. आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(गिरिजा भारद्वाज)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2,
ब्यावर, जिला ब्यावर।